भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 24

(शुक्रवार, 2 फरवरी, 2018/13 माघ, 1939 (शक) को दिया गया)

शोधन अक्षमता के मामले

24. श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कारपोरेट आशोधन क्षमता, कारपोरेट तरलता और व्यक्तिगत आशोधन क्षमता के कारण हुई हानियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उक्त मामलों में अत्यधिक तेजी देखी गई है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) से (ग): दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) में यथाविहित दिवाला समाधान और कारपोरेट व्यक्तियों के समापन संबंधी उपबंध 1 दिसंबर, 2016 से प्रवृत्त किए गए। इसके साथ ही संहिता में व्यक्तियों और भागीदारी फर्मों के दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता संबंधी उपबंध अभी अधिसूचित किए जाने हैं। यह संहिता कारपोरेट व्यक्तियों, भागीदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुर्नगठन और दिवाला समाधान संबंधी कानूनों को समयबद्ध तरीके से समेकित और संशोधित करने हेतु तैयार की गई है जिससे ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों का अधिकतम मूल्यांकन हो सके। कारपोरेट ऋणी (लेनदारों की समिति द्वारा) उसकी व्यवहार्यता और अन्य आर्थिक तथ्यों को देखते हुए समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार समाधान या समापन करेगा।

दिसंबर, 2017 तक 40 (चालीस) कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) संव्यवहार पूरे किए गए। इन संव्यवहारों में से 10 (दस) संव्यवहार, निर्णायक अधिकारी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना में परिवर्तित हुए और 30 (तीस) संव्यवहारों में कारपोरेट ऋणी का समापन किया गया।

*****